न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 62/2017

अपीलार्थीगण– *__बनाम__* **उत्तरदाता–**

1. मूलाराम पुत्र जेठाराम
2. अशोक पुत्र जेठाराम
   जाति माली निवासी भाडखा
   तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.09.2017 जो प्रकरण सं. 122/2017 मे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

__निर्णय__

दिनांक : 05.02.2021

1. अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 122/2017 सरकार बनाम मूलाराम वगैरह मे पारित निर्णय दिनांक 22.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का भाडखा द्वारा तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर [illegible] बीघा बारानी सोयम सरकारी भूमि में से 05–[illegible] मूलाराम, अशोक पि0 जेठाराम कौम माली [illegible] बाजरी व ग्वार बो[illegible] कब्जा व अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी ने अपने बयानों में यह भी उल्लेखित

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

किया कि अतिक्रमी बार–बार समझाईस के उपरांत पुनः अतिक्रमण किया है, गत वर्ष मु.न. 113/16 दर्ज कर निर्णय दिनांक 19.10.2016 की पालना में बेदखल किया गया था, अतः आदतन अतिक्रमी है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं बयान पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायलान को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। वक्त पेशी गैर सायल द्वारा अवैध कब्जा करना स्वीकार किया। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा गैर सायलान को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिए धारा 91(2) के तहत अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 22.09.2017 के द्वारा 13.00/– रूपये जुर्माना अधिरोपित करने के साथ–साथ एक माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने एवं विवादित भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स ने दिनांक 25.10.2017 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट्स को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली एवं सिविल कारावास का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों एवं तथ्यों की भारी भूल की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही व किसी भी प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने से पूर्व सम्बन्धित हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप आवश्यक एवं न्यायोचित है।

5. अपीलांट्स की ओर से यह भी प्रकट किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स की तलबी हेतु जारी नोटिस स्वयं अपीलांट्स से तामील होना कथन किया हैं जबकि अपीलांट संख्या 2 का नोटिस तामील नहीं है न ही अपीलांट संख्या 2 तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष हाजिर हुआ। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा दिनांक 22.09.2017 को ही अपीलांट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया। अधीनस्थ न्यायाल की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था जिससे यह स्पष्ट हों कि अपीलांटगण का विवादित आराजी पर कब्जा है। केवल मात्र हलका पटवारी रिपोर्ट व मौखिक कथनों के आधार पर अपीलांटगण को दण्डित नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं कर मनमाने तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है तथा जल्दबाजी में किया गया कार्य न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर 2003 आरआरडी 504 श्रीमती चन्दा बनाम राजस्थान राज्य में यह निर्धारित किया है कि "Justice hurried is Justice burried." इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

6. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे राजकीय अभिभाषक ने प्रकट किया है कि अपीलांट्स के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट्स द्वारा ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 565/181 रकबा 60–10 बीघा बारानी सोयम सरकारी भूमि में से 05–00 बीघा भूमि पर गैर सायलान मूलाराम, अशोक पि0 जेठाराम कौम मा... ...न भाड़खा द्वारा बाजरी व ग्वार बोकर कब्जा व अतिक्रमण कर लिया है ... अवैध है इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट्स को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई अपीलांट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर

सं. 1 मूलाराम उपस्थित हुआ तथा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया हैं जिसके लिये तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन प्रकरण सं. 122/2017 में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2017 के द्वारा अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किया गया था। अपीलांट्स द्वारा इसी भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कब्जा–काश्त करने पर अपीलांट्स पर जुर्माना अधिरोपित करने के साथ ही एक माह के सिविल कारावास से दण्डित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है तथा अपीलांट्स की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक के तर्कों पर मनन किया एवं अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट्स ने इस अपील के द्वारा खसरा नम्बर 565/181 की भूमि पर कब्जा नहीं होने का कोई अभिकथन नहीं किया गया है और न ही पूर्व में उसके विरूद्ध संस्थित कार्यवाही एवं बेदखली आदेश को अस्वीकार किया है। इसके अलावा जहां तक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु जारी नोटिस अपीलांट्स की जानकारी में आने पर अपीलांट सं. 1 मूलाराम स्वंय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ हैं तथा मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण स्वीकार किया गया। यदि उसे अपना जवाब प्रस्तुत करना था तो लिखित में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अवसर मांग सकता था। इसी मुतनाता भूमि पर अपीलांट्स द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष में भी अवैध रूप से काश्त कर कब्जा किया था जिस पर उसके विरूद्ध धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर, सुनवाई उपरांत अ[illegible] को अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश दिनांक 19.10.[illegible] पारित किया गया एवं इस आदेश की पालना में मौके से बेदखल किया गया। इसके बावजूद भी अपीलांट्स द्वारा पश्चातवर्ती वर्ष में भी अतिक्रमण किया गया हैं जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला ... बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

संबंध में प्रकट किया कि अपीलांट्स भूमिहीन हैं एवं इस भूमि पर लम्बे समय के काबिज होने से प्रकरण नियमन योग्य है किन्तु अपीलांट्स द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष इस संबंध में साक्ष्य दस्तावेजों सहित कोई अभिकथन किया गया है। विवादित भूमि सरकारी है जिस पर अपने स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत अपीलांट्स द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया है, ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट्स को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिये एक माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.09.2017 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

9. आदेश आज दिनांक 05.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर